Print Date:-31/Mar/2026 12:51 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 31-03-2026 12:52:10

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025-2026)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26030130073

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**04**	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	282008100	52895000	0	334903100
	योग	282008100	52895000	0	334903100

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 5,28,95,000 (Rupees Five Crores Twenty Eight Lacs Ninety Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2603:0032

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– /IV(2)-श0वि0–2026–12(सा0)/2024 (99819)

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक मार्च, 2026**

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में विभिन्न नगर निकायों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा तथा ''अवस्थापना विकास निधि योजना'' के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आगणनों, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'अ'** पर अवलोकनीय है, के सापेक्ष **कुल रू0 890.56 लाख** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **कुल रू0 528.95 लाख (रूपये पाँच करोड़ अठ्ठाईस लाख पिचानवे हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त धनराशि **कुल रू0 528.95 लाख (रूपये पाँच करोड़ अठ्ठाईस लाख पिचानवे हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर निकायों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/यथा प्रक्रिया अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। तत्सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(3) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित नगर निकाय के सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

(4) प्राविधिक स्वीकृति हेतु शा0सं0 149101/XXVII(7)/E-20109/2022, दिनांक 25.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत योजना के सापेक्ष समयावृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

(6) प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लेंगे अर्थात किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर Parking oF Fund नहीं किया जायेगा तथा आगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बनिधत अधिशासी अधिकारी का होगा।

(7) कार्यों की स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(8) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित सम्बनिधत अधिशासी अधिकारी/अभियंता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(10) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(11) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(12) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्ठियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

(13) आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचिलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। जनसुविधार्थ स्वीकृत योजना की कार्यलागत एवं योजना की समयावधि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा।

(15) उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे तथा कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में (कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु यदि बाजार की दरें ली गई हैं, तो विशिष्टयों तथा दरों में परिर्वतन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि सम्बन्धित नगर निकाय योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदो का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(17) योजना में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में हरसम्भव यह प्रयास किया जाय कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय ताकि प्रदेश के अन्तर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सकें। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में उक्त का समावेश किया जाय।

(18) प्रश्नगत प्रस्ताव/आगणन के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा प्रदत्त Observation के निराकरण तथा शर्तों के अनुपालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता का होगा।

(19) नॉन शैड्यूल मदों की दरों/स्वीकृति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता का होगा।

(20) धनराशि का अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, कार्यस्थल के फोटोग्राफ्स एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और तद्नुसार अवशेष धनराशि की मांग शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को की जायेगी।

(21) आगणन में सम्मिलित की जा रही जी0एस0टी0 देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तवित एवं नियमानुसार/नवीन जी0एस0टी0 प्राविधानों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

(22) अवस्थापना विकास निधि दिशा–निर्देश 2025 (नगर निकाय पिथौरागढ़ एवं मसूरी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं निकाय अंश का वहन स्वयं के स्रोतों से किया जाय।

(23) **निविदा स्वीकृत किये जाने पर योजना की लागत में होने वाली बचत (निविदा की लागत, स्वीकृत लागत से कम होने की दशा में) की धनराशि शासन को वापस की जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा शासन को अवगत कराया जाय।**

(24) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। **कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, एल–1 विवरण, निकाय अंश व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता**

<u>प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।</u> तत्सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा और तदोपरान्त शहरी विकास निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

2– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान सं.– 13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 383770, दिनांक 30 मार्च, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से संलग्न एलॉटमेंट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 31-03-2026
11:44:26

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, कुमॉयू मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5– नगर आयुक्त, नगर निगम, पिथौरागढ़।
6– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9– अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय।
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव।

परिशिष्ट–'अ'

शासनादेश संख्या– /IV(2)-श0वि0–2026–12(सा0)24, दिनांक मार्च, 2026 का संलग्नक।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. स.	नगर निकाय का नाम	कार्य का नाम			लागत	निकाय अंश	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित
1.	नगरपालिका परिषद, खटीमा	**मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1695/2021** नगर पालिका क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत एलके मिष्ट मार्ग सरस्वती विहार कालोनी में सी0सी0 मार्ग का निर्माण किया जायेगा।			21.82	-	21.82
2.	नगरपालिका परिषद, चम्पावत	**मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 651/2025** नगर पालिका परिषद, चम्पावत में शामिल किये गये नये क्षेत्रों के वार्डों में अवस्थापना विकास हेतु जिलाधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार उक्त कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।			398.34	-	286.75
		क्र. सं.	**कार्य का नाम**	**लागत**			
		1.	वार्ड नं0 1 छतार में बच्ची सिंह के मकान से नीचे की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	24.15		-	
		2.	वार्ड नं0 1 छतार में पूर्व में नगर पालिका परिषद, चम्पावत द्वारा निर्मित नाले से डड़ा गधेरे की ओर नाला निर्माण कार्य।	24.38			
		3.	वार्ड नं0 1 छतार में पूल्ड आवास मल्लिकार्जुन स्कूल के पास पुल एवं सुरक्षा दिवार निर्माण कार्य।	20.39			
		4.	वार्ड नं0 1 छतार में दिनेश कॉलोनी के मकान से शंकर कॉलोनी के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	24.07			
		5.	वार्ड नं0 2 तल्ली मादली में रेलिया तोक से नदी तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	24.94			
		6.	वार्ड नं0 2 तल्ली मादली में देव सिंह के घर के त्यारकूड़ा तक ह्यूम पाइप ड्रेन एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य।	22.88			
		7.	वार्ड नं0 02 तल्ली मादली में तल्ली मादली से डिप्टेश्वर शमशान तक ह्यूम पाईप ड्रेन एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य।	21.56			
		8.	वार्ड नं0 3 मल्ली मादली में मनोज पाण्डेय के मकान से छतार की ओर ह्यूम पाईप नाली निर्माण कार्य।	23.28			
		9.	वार्ड नं0 6 जूप में खर्ककार्की से एन0एच0 तक ह्यूम पाईप नाली निर्माण कार्य।	23.27			
		10.	वार्ड नं0 6 जूप में डी0एफ0ओ0 ऑफिस से सी0सी0यू0 तक ह्यूम पाईप नाली निमार्ण कार्य	35.1			
		11.	वार्ड नं0 8 बालेश्वर में तड़ागी नौला से बैलटाक को जाने वाले मार्ग तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	22.5			

		12.	भाजपा कार्यालय से मल्ली मादली की ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य।	20.23			
		13.	वार्ड नं0 2 तल्ली मादली दीक्षा हार्डवेयर के सामने एन0एच0 से नीचे पूर्व में निर्मित नाले से थैप नौला तक नाला एवं पटाल निर्माण कार्य।	55.83			33.50 (60%)
		14.	वार्ड नं0 2 तल्ली मादली में थैप नौला से त्यारकूड़ा नौला तक नाला एवं पटाल निर्माण कार्य।	55.76			33.46 (60%)
3.	नगर निगम, पिथौरागढ़	**मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 599/2025** जिला पिथौरागढ़ की विधान सभा पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जी0जी0 आई0सी0 गेट के समीप स्व0 श्री प्रकाश पन्त स्मृति द्वार का निर्माण किया जायेगा।			98.65	49.33 (50%)	49.33
4.	नगरपालिका परिषद, मसूरी	कैमल बैक रोड़ को जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य।			371.75	111.53 (30%)	104.09 (40%)
योग–					**890.50**		**528.95**

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव।